न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मनोहरथाना

वाद वादी वकील श्री अशोक कुमार .... द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

1. वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है ।
2. वाद श्रवणाधिकार क्षैत्र का है ।
3. नियमानुसार कोर्ट फीस पर है ।
4. प्रतिवादी पक्ष का पूर्ण पता अंकित है ।
5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
6. पर्याप्त हैतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

हस्ताक्षर लिपिक

23/12/19 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07-01-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

07/01/2020- पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील प्राप्त। इन्तजार किया जाकर पत्रावली दि. 30/01/2020 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

30-01-20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वादी पक्ष में निर्णय डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 147 / दावा / 19 तारीख दायरा 23.12.2019

उनवान

अन्तर सिंह पिता देवी सिंह उर्फ देवीलाल जाति भील निवासी महाराजपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादी

वाद धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— श्री अशोक कुमार अधिवक्ता वादी
एक पक्षीय (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 30-01-20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता वाद अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि — ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का रंवास्या तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 26 पुराना 108 की खसरा संख्या 110 की 2.15 बीघा, 230 की 2.10 बीघा, 232 की 6.11 बीघा, 241 की 2.11 बीघा, 242 की की 0.08 बीघा, 246 की 0.02 बीघा, 487 की 0.18 बीघा कुल 7 किता की 15.15 बीघा आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में वादी अन्तर सिंह पिता देवीसिंह का लिपिकीय त्रुटि के कारण अमरसिंह पिता देवीसिंह दर्ज हो गया है जो सहवन से हुआ है वादी का नाम खाते में अमरसिंह दर्ज हो जाने से कई परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए वादी का नाम खाते में अमरसिंह पिता देवीसिंह को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर अन्तर सिंह पिता देवीसिंह उर्फ देवीलाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी का नाम विभिन्न राजस्व रेकार्ड में अन्तरसिंह पिता देवीलाल दर्ज हो रहा है जो सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी तथा जोब कार्ड इत्यादि में वादी का नाम अन्तरसिंह पिता देवीलाल दर्ज है जो सही एवं वास्तविक नाम है इसलिए वादी अपने नाम अमरसिंह पिता देवीलाल को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर अन्तर

ड अधिकारी
हरथाना

सिंह पिता देवीलाल दर्ज करवाना चाहता है। वादी ने वर्णित आराजी में नाम सही करवाने बाबत प्रतिवादी नम्बर 1 से कई बार कहा परन्तु कोई संतोषप्रद्र जवाब नही दिया, अन्तिम बार दिनांक 1.012.2019 को आवेदन करने पर कोई संतोषप्रद्र जवाब नही मिलने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को जर्ये संम्मन तलब किया गया। नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि अमरसिंह पिता देवीसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है वादी का नाम विभिन्न राजस्व रेकार्ड में अन्तरसिंह पिता देवीलाल दर्ज हो रहा है जो सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी तथा जोब कार्ड इत्यादि में वादी का नाम अन्तरसिंह पिता देवीलाल दर्ज है जो सही एवं वास्तविक नाम है इसलिए वादी अपने नाम अमरसिंह पिता देवीलाल को दुरूस्त करवाकर उसके स्थान पर अन्तर सिंह पिता देवीलाल दर्ज करवाना चाहता है जो न्याय हित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का रंवास्या तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 26 पुरानी 108 की कुल 7 किता की 15 बीघा 15 बिस्वा आराजी में वादी का नाम अमरसिंह पिता देवीसिंह को दुरूस्त किया जाकर अन्तरसिंह पिता देवीसिंह उर्फ देवीलाल दर्ज किया जावें । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री आदेश जारी हो, मिसल फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिग्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 147 / दावा / 19

तारीख दायरा 23.12.2019

उनवान

अन्तर सिंह पिता देवी सिंह उर्फ देवीलाल जाति भील निवासी महाराजपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

– प्रतिवादी

वाद धारा 136 एल.आर.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री .... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी फर्द डिक्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि :–

ग्राम महाराजपुरा पटवार हल्का रंवास्या तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 26 पुरानी 108 की कुल 7 किता की 15 बीघा 15 बिस्वा आराजी में वादी का नाम अमरसिंह पिता देवीसिंह को दुरूस्त किया जाकर अन्तरसिंह पिता देवीसिंह उर्फ देवीलाल दर्ज किया जावें । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 30-01-20 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner